

### समाजवाद

- पंचनिरपेक्षता की भांति समाजवाद शब्द भी 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया जिस पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना के निर्माण की तिथि 26 नवम्बर, 1949 है तो इस तिथि को बदले बिना प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार संभव है।
- संविधान के नीति निर्देशक तत्व (भाग-4) में यह उल्लेखित है कि सम्पत्ति का केन्द्रीकरण मुट्ठीभर हाथों में नहीं होगा और उत्पादन का इस प्रकार से नियंत्रण होगा जिससे समुदाय की भलाई सुनिश्चित की जा सके। [अनुच्छेद 39B(c)]
- निर्देशक तत्व में ही यह प्रावधान है कि राज्य सभी का कल्याण करेगा। (अनुच्छेद 38)
- प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार, समाज में सम्पत्ति का वितरण वैदित वर्गों की भलाई के लिए होना चाहिए। इसीलिए

संविधान में समाजवाद का आधार पहले से विद्यमान है।

• समाजवाद का सकारात्मक आशय वैश्वीकरण का क्षयप्रतिकूलण है इसीलिए सरकार के द्वारा आवास योजना, उच्चवला योजना, मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि 1991 के उदरिक्षरण के बाद भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता सामाजिक-आर्थिक व्याप है।

• 'समाजवाद' शब्द आधारभूत ढाँचे का भाग नहीं है इसीलिए इसे भविष्य में हटाया जा सकता है

\* प्रस्तावना की संविधान की व्याख्या में उपयोगिता

• परम्परागत रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या करते समय संविधान के शब्दों को महत्व दिया गया लेकिन वर्ष 1973 में केशवानंद भारती वाद के बाद से संविधान की व्याख्या को परिवर्तित कर

दिया और यह कहा कि संविधान अनुच्छेदों का संग्रह मात्र नहीं है, अपितु यह कसिदांत, विचारधारा और दर्शन है जो प्रस्तावना में उल्लेखित है। केशवनांद भारती एनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है और वर्तमान में प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, पंचनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता-अखण्डता, व्यक्ति की गरिमा आदि शब्दों के भाग घोषित किए जा चुके हैं, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

• जीवन के अधिकार को गरिमायुक्त जीवन बनाने (मानेका गांधीवाद) में जीवन के अधिकार में निजता या अधिकार शामिल किया गया। जहां उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आत्मा अथवा भावना को सर्वाधिक महत्व दिया।

- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संदर्भ में न्यायालय ने राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को मसूदा देने के कारण ही इसे संवैधानिक करार दिया। जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है।
- पुस्तकस्वामी वाद में आध्यात्मिकता की अनिवार्यता के विरुद्ध निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित किया गया है। इसीलिए सामाजिक न्याय स्थापित करने के नाम पर स्वतंत्रता की अनदेखी करना संभव नहीं है।

### गणतंत्रिक - लोकतंत्रिक

- संविधान सभा एक संपन्न संस्था थी, जिसके द्वारा लोकतंत्रिक शासन का आधार रखा गया और भारत में सभी नागरिकों को एक साथ मतदाताओं के अधिकार दिए गए और इन्हीं मतदाताओं के द्वारा लोकसभाओं और विधानसभाओं का निर्वाचन किया गया।

- ब्रिटेन के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अजीब विसंगति विद्यमान थी क्योंकि लार्ड सभा (House of Lords) एक गैर निर्वाचित संस्था थी और ब्रिटेन के महाराजा/महारानी को ही वंशानुगत आधार पर राष्ट्रपत्य का बना दिया गया।
- भारतीय संविधान निर्माता अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित थे जिन्हें संविधान में सर्वैव गणतंत्र का प्रयोग किया गया क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था इसमें मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने आम जनता की सर्वोच्चता और अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग किया।
- ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है जबकि भारत में संसदीय शासन के विचार को अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसीलिए 'गणतंत्र' शब्द का

भी प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है।

\* 75 वर्षों के लोकतांत्रिक - गणतांत्रिक राज्य का व्यवहारिक मूल्यांकन।

- भारतीय लोकतंत्र में अनेकों विरोधाभास विद्यमान हैं क्योंकि एक ओर भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, देश में मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ हो गयी है। इसीलिए चुनावी दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन गरीबी, विनाश, निरक्षरता राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियां हैं और मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत का स्थान 134 है।
- प्रस्तावना में जनसंख्या का उल्लेख है लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों पर परिवार विशेष का नियंत्रण है और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है।
- एक ओर भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो दूसरी ओर राजनीति का अपराधीकरण जहां राजनेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं तथा

अपराधियों का राजनीतिकरण, जहाँ अपराधी ही चुनाव में भाग लेते हैं। यह लोकतंत्र तथा विधि के शासन के लिए काले धब्बे की भाँति हैं।

\*निष्कर्ष:-

भारतीय लोकतंत्र अभी भी एक संक्रमणकालीन दौर में है। लेकिन शासन में निरंतर सुधार देखे जा रहे हैं। एक ओर नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है वहीं दूसरी ओर शिक्षा के अधिकार भी उपलब्ध हुए।

